राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1885/2025

पूजा मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार, चाकसू।
5. बंशीलाल शर्मा, पटवारी, मण्डल–उदयपुरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2025
आदेश की दिनांक : 10.03.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल उदयपुरिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्डल दांतरी, दूदू किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य कथन है कि आदेश दिनांक 22.09.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया था। अपीलार्थी दिनांक 29.09.2024 से 24.02.2025 तक मातृत्व अवकाश पर है। अपीलार्थी ने दिनांक 29.08.2024 को बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके आधार पर राजस्थान सेवा नियम 103 के अनुसार 180 दिवस की मातृत्व अवकाश का प्रावधान है लेकिन विभाग द्वारा मृातत्व अवकाश के दौरान ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि अपीलार्थी वर्तमान में दिनांक 29.09.2024 से 24.02.2025 तक स्वीकृत मातृत्व अवकाश पर थी एवं इस अवधि में आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन पर जनवरी 2022 से कार्यरत है। अतः हम आलौच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि या नियमों का उल्लंघन नहीं पाते है। अपीलार्थी के स्वीकृत मातृत्व अवकाश के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण आदेश का क्रियान्वयन उनके मातृत्व अवकाश की अवधि समाप्त हो चुकी है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थागन प्रर्थाना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)